

**न्यायालय:-पलक श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अजयगढ़,  
जिला-पन्ना (म.प्र.)**

|                         |            |                    |
|-------------------------|------------|--------------------|
| <b>Registration No-</b> | <b>RCT</b> | 561/2022           |
| <b>Filing No-</b>       |            | 681/2022           |
| <b>C.N.R. No-</b>       |            | MP-3505000718-2022 |
| <b>Filing Date-</b>     |            | 16-11-2022         |

म. प्र. राज्य द्वारा थाना प्रभारी अजयगढ़,  
जिला पन्ना (म0प्र0)

– **अभियोजन**

–:: **बनाम** ::–

रामविशाल पिता महेश्वर पटेल, उम्र 52 वर्ष,  
निवासी-जिगनी, थाना-अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.)

– **अभियुक्त**

पुलिस थाना अजयगढ़, तहसील-अजयगढ़, जिला-पन्ना म.प्र. के अपराध क्रमांक 491/2022 अपराध अंतर्गत धारा 34 (1) (क) म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 से उद्भूत प्रकरण ।

–:: **निर्णय** ::–

**(आज दिनांक 16.11.2022 को घोषित किया गया)**

01. अभियुक्त रामविशाल के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का यह आरोप है कि वह घटना दिनांक-30.09.2022 को समय दिन के लगभग 12:15 बजे, स्थान नहर पट्टी बल्दूपुरवा, ग्राम बल्दूपुरवा, थाना अजयगढ़, जिला-पन्ना (म.प्र.) में अवैध रूप से बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के 22 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा शराब को रखे पाया गया ।

02. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अभियोजित अपराध को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया गया ।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-30.09.2022 को पुलिस चौकी चंदौरा, थाना अजयगढ़, में पदस्थ उपनिरीक्षक अनिल राजपूत को दौरान देहात भ्रमण ग्राम चंदौरा में जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति बल्दूपुरवा से जिगनी तरफ शराब लेकर आ रहा है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पंचानों को

मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर हमराह लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान के लिये रवाना हुआ, तब ग्राम बल्दूपुरवा नहर पुल के पास एक व्यक्ति हाथ में सफेद रंग की बोरी लिये दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे हमराह स्टाफ की मदद से पकड़ा गया और उसका नाम पूछे जाने पर उसने अपना नाम रामविशाल होना बताया और हाथ में लिये बोरी को खुलवा कर देखने पर उसमें 22 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा शराब रखे पाया गया। शराब रखने के संबंध में लाईसेंस पूछने पर उसने कोई लाईसेंस न होना बताया। उक्त 22 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा शराब को उक्त व्यक्ति से विधिवत् जप्त की गयी। अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय पाये जाने से अभियुक्त को धारा 41 क द.प्र.स. का नोटिस दिया। जप्ती माल सहित पुलिस चौकी चंदौरा लाकर उसके विरुद्ध चौकी में जीरो की नालसी 028/2022 धारा-34 आबाकरी एक्ट के तहत दर्ज की गयी, जिस पर से थाना अजयगढ़ में अप.क्र-491/2022 पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अन्य विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियोग पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के अवलोकन उपरांत अभियुक्त पर अपराध विवरण निर्मित किया गया। अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया, स्वीकार किया है। अभियुक्त का अभिवाक यथासंभव उसी के शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

05. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(1) क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-30.09.2022 को समय दिन के लगभग 12:15 बजे, स्थान नहर पट्टी बल्दूपुरवा, ग्राम बल्दूपुरवा, थाना अजयगढ़, जिला-पन्ना (म.प्र.) में अवैध रूप से बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के 22 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा शराब को रखे पाया गया ?

### **:: सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष ::**

06. अभियोग पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के अवलोकन उपरांत अभियुक्त पर अपराध विवरण निर्मित किया गया। अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया, स्वीकार किया है। अभियुक्त का अभिवाक यथासंभव उसी के शब्दों में लेखबद्ध किया गया। प्रकरण में संलग्न अभियोजन के दस्तावेजों से भी यह तथ्य प्रमाणित होता है तथा उक्त सभी तथ्य अभियोजन के मामले को सत्यता प्रदान करते हैं। अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति स्वेच्छया, स्वविवेक अनुसार की गई हुई प्रतीत होती है, क्योंकि वह अपराध की प्रकृति एवं परिस्थिति को तथा दंड की मात्रा एवं परिणाम को भली भांति समझता है, इस कारण अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धी एवं दंडादेश पारित किया जा सकता है।

07. अतः अभियुक्त द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति एवं अभियोग पत्र के साथ

संलग्न प्रपत्रों के आधार पर यह प्रमाणित है, कि अभियुक्त पर प्रश्नगत घटना, दिनांक, समय, स्थान पर अपने आधिपत्य में जप्तशुदा शराब रखे जाने के संबंध में वैध अनुज्ञा पत्र उपलब्ध नहीं था। परिणामतः अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

08. दंड के संबंध में विचार किया गया। विचारोपरांत अभिलेख से यह प्रकट है, कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणित नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में पूर्व दोष सिद्धी के प्रमाण के अभाव को देखते हुये अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास से एवं रुपये 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि के व्यतिक्रम में अभियुक्त को पृथक से 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

09. प्रकरण में जप्तशुदा एक बोरी में 22 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जाये। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

दिनांक — 16.11.2022

स्थान — अजयगढ़, जिला—पन्ना (म.प्र.)

(पलक श्रीवास्तव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

अजयगढ़, जिला—पन्ना (म.प्र.)